

पालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

आसीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

दमा नम्बर:-257/2018 प्रार्थना पत्र

जगदीश पिता कल्याण ब्राह्मण, उग्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थी

बनाम

श्री पिन्दू पिता छोगा बलाई, उग्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री बैरू पिता गणेश जाट, उग्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्रीमति अर्चनादेवी पत्नि अभीनन्दन दरड़ा (जैन), निवासी ई-13, बसंत विहार, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

धिव, ग्राम पंचायत हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

रपंच, ग्राम पंचायत हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-25.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ पटवार हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 436 रकबा 1 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम पर रजिस्टर्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काशत की जायत के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। तामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 6 को ही मर्तवा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काशत करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

↓
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा



प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 436 रकबा 1 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 200/-रूपये (दो सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डावी)
आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

